

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निर्बंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 ।३०

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
पटना एवं किशनगंज।

पटना, दिनांक—२८/३/१९

विषयः— नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल राशि ₹31.78472 लाख (एकतीस लाख अठहत्तर हजार
चार सौ बहत्तर रु०) मात्र का आवंटन।

आदेशः— स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक— 39, दिनांक—
10.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने के विरुद्ध हुए विभिन्न¹
आकस्मिक व्यय यथा कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, बज्रगृह एवं मतगणना हॉल की व्यवस्था, वाहन एवं ईधन
आदि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹28.29380 लाख तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद सं० CWJC No.-
1683/2019 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना
के पत्रांक— 746, दिनांक— 10.03.2019 से प्राप्त अधियाचना, जो नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के
अवसर पर नगर परिषद्, बाढ़ अंतर्गत विभिन्न व्यय यथा— टेंट, शामियाना, बैरिकेटिंग आदि कराए गए कार्य
से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल ₹3.49234 लाख (तीन लाख उनवास हजार दो सौ चौंतीस रु०)
मात्र अर्थात् कुल ₹31.78472 लाख (एकतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र उपलब्ध कराने
का अनुरोध किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, पटना एवं किशनगंज से प्राप्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०- ।६९.....
दिनांक— १८/३/१९ के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की
प्रतिपूर्ति के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ— 2 में अंकित जिलों के नाम के सम्मुख स्तम्भ— 4 में अंकित राशि
वित्तीय वर्ष 2018—19 में कुल ₹31.78472 लाख (एकतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र
निम्नवत् आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)			
क्र०सं०	जिला का नाम	अधियाचित राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	पटना	3.49234	3.49234
2	किशनगंज	28.29238	28.29238
	कुल योग	31.78472	31.78472

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹31.78472 लाख (एकतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ
बहत्तर रु०) मात्र।

3. आवंटित राशि ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015 -निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-0001.13.01-कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०- 48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. तालिका के स्तम्भ- 4 में आवंटित कुल राशि ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पटना निर्वाचन होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत् क्रय समिति का अनुमोदनोपरांत भुगतान किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/03/19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 130 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-28/3/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

17/03/19

सरकार के विशेष सचिव।

३

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/निर्वा०-22-01/2017 169

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
*द्वारा—आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक—28/3/19

विषय:— नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:— स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक— 39, दिनांक— 10.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने के विरुद्ध हुए विभिन्न आकस्मिक व्यय यथा कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, बज़गृह एवं मतगणना हॉल की व्यवस्था, वाहन एवं ईधन आदि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹28.29380 लाख तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद सं० CWJC No.- 1683/2019 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक— 746, दिनांक— 10.03.2019 से प्राप्त अधियाचना, जो नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर नगर परिषद्, बाढ़ अंतर्गत विभिन्न व्यय यथा— टेंट, शामियाना, बैरिकेटिंग आदि कराए गए कार्य से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल ₹3.49234 लाख (तीन लाख उनचास हजार दो सौ चौंतीस रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, पटना एवं किशनगंज से प्राप्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 को सम्पन्न कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ— 2 में अंकित जिलों के नाम के सम्मुख स्तम्भ— 4 में अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :—

(राशि लाख में)

क्र०सं०	जिला का नाम	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	पटना	3.49234	3.49234
2	किशनगंज	28.29238	28.29238
	कुल योग	31.78472	31.78472

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि ₹31.78472 लाख (एकत्तीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या—48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष— 2015-निर्वाचन,

उपमुख्य शीर्ष— 00—लघु शीर्ष—109—पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—उपशीर्ष—0001—नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष—0001.13.01—कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं— 48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. तालिका के स्तम्भ— 4 में स्वीकृत कुल राशि ₹31.78472 लाख (एकतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रु०) मात्र की निकासी^{भी} निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पटना निर्वाचन होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018—19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं— 2561, दिनांक— 17.04.98, एवं पत्रांक— 354, दिनांक— 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदनोपरांत भुगतान किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक— 31.03.19 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या— 2ब०/निर्वा०—22—01/2017 के पृष्ठ सं— ३.०...../टिं पर दिनांक— २६.३.१९..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं— ३.१...../टिं पर दिनांक— २६.३.१९..... को प्राप्त है।

9. इसकी सूचना सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना एवं किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
८९८-०३-१९

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—2ब०/निर्वा०—22—01/2017 169 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक— २४/३/१९

प्रतिलिपि— सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना एवं किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार /वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी— 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

८९८-३-१९
सरकार के विशेष सचिव।